फ़र्द अहकाम

उमाशंकर बनाम ऐयरटेल व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 47/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	12/3/25	अतः पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा.पत्र O.7 R 11 दिनांक 27/3/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	27/3/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी प्रतिवादीगण क्र. 01 व 03 की ओर से प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि अप्रार्थी वादी द्वारा अपने वादपत्र के अन्तर्गत उल्लेखित वादग्रस्त भूमि ख.नं. 283 व 645 पर स्थापित मोबाईल टावर को हटाने तथा उक्त मोबाईल टावर के संदर्भ में जारी विद्युत कनेक्शन को हटाने। विच्छेद करने का अनुतोष चाहा गया है जबकि उक्त अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदत्त नहीं किए जा सकते हैं अपितु सिविल न्यायालय द्वारा ही प्रदत्त किए जा सकते हैं वादी द्वारा क्षेत्राधिकारिता से भिन्न/परे(बाहर) वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके लिए अप्रार्थी वादी को कोई वादकारण भी उत्पन्न नहीं हुआ है तथा वादपत्र [illegible] व अयुक्त तथ्यों के आधार पर [illegible] है। जिसके अनुसार [illegible] भूमि पर मोबाईल टावर [illegible] करने के संदर्भ में विशिष्ट कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाकर समस्त मोबाईल सेवा प्रदाता	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.20 13:43:30 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

उमाशंकर बनाम एयरटेल व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय - जयपुर

केस संख्या 47/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	27/3/25	कम्पनीयों को पक्षकार बना लिया गया है तथा यह भी उल्लेखित नहीं किया गया है कि मोबाईल टावर कब से स्थापित है तथा किस कम्पनी द्वारा किस विशिष्ट भू स्वामी से करार (अनुबन्ध) कर टावर स्थापित किया गया है तथा सक्षम व स्पष्ट वाद कारण भी उल्लेखित नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी वादी द्वारा असत्य व अपूर्ण तथ्यों के आधार पर पूर्व से ही स्थापित मोबाईल टावर के संदर्भ में वाद प्रस्तुत किया गया है। जो कि प्रस्तुत तथ्यों व प्रावधान के अनुसार न्यायालय हाजा की क्षेत्राधिकारिता से भिन्न विषय के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। जो कि न्यायालय हाजा की क्षेत्राधिकारिता व श्रवणाधिकारिता का विषय नहीं है। जबकि मोबाईल टावर के सन्दर्भ में विवाद को सुनने का अधिकार जिला दूर संचार समिति व राज्य दूरसंचार समिति को ही प्राप्त है। अतः प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद क्षेत्राधिकारिता के आधार पर पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे। प्रार्थी प्रतिवादीगण की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए हैं - (1) 2011-12 (SUPP.) RRT 404 निर्णय दिनांक 24.04.12 (2) T. Arivandanam V/S T.V. Satpal (3) SUPREME COURT OF India criminal appeal No. 283/2021 Krishnapal chawla V/S state of U.P. (4) S.B. civil writ petition No. 16391/2014 decided on 24/11/14	

P.T.O

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

उमाशंकर बनाम एयरटेल व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय - जयपुर

केस संख्या 47/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	27/3/25	प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी वादी द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि अप्रार्थी वादी द्वारा अपनी आमलिखित खातेदारी की कृषि भूमि में वादी/खातेदारान की अनुमति व अनुबन्ध (करार) के अभाव में प्रतिवादीगण (मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनी) द्वारा अवैध अतिक्रमण के रूप में स्थापित किए गए मोबाईल टावर को हटाये जाने व उक्त अवैध मोबाईल टावर के सन्दर्भ में जारी विद्युत कनेक्शन को हटाने के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। जो कि भिन्न अप्रार्थी वादी की खातेदारी की कृषि भूमि से सम्बन्धित होने के कारण प्रकरण की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता व श्रवणाधिकारिता राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त होने से वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो कि राज. काश्त. अधि. के शेड्यूल तृतीय के आईटम नं. 23 C के अनुसार राज. काश्त. अधि. की धारा 183, 188 के अनुसार कृषि भूमि से सम्बन्धित होने के कारण राजस्व न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता का विषय है। जिसके अनुसार वादी द्वारा अपनी आमलिखित खातेदारी की कृषि भूमि में मोबाईल टावर स्थापित किए जाने बाबत किसी प्रकार की अनुमति/सहमति अथवा अनुबन्ध/करार नहीं किया गया है। जिसके सन्दर्भ में वादी द्वारा मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनी/प्रतिवादीगण को कानूनी नोटिस भी प्रेषित किए गए थे, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई [illegible] अप्रार्थी वादी को नहीं	P.T.O.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.20 13:43:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

... बनाम एयरटेल व अन्य

केस संख्या 47/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	27/3/25	किया गया है। जिससे किन अप्रार्थी वादी को अपनी कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों की सुरक्षार्थ वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। जो कि वादी की कृषि भूमि में अवैध व गैर कानूनी रूप से टावर स्थापित होने/किए जाने से सक्षम व स्पष्ट वाद कारण है। जिससे वाद की ग्रहणीयता व क्षेत्राधिकारिता सम्बन्धी आपत्ति व कथन पोषणीय नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रा०पत्र आदेश 07 नियम 11 पोषणीय नहीं होने से खारिज करवाया जावे। हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी वादी द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाता कम्पनी को पक्षकार बनाते हुए वाद प्रस्तुत किया गया है। मोबाईल टावर स्थापित कर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिसके विरुद्ध वादी को मूलतः से कोई वादकारण उत्पन्न होता है। ~~प्रार्थीगण~~ प्रतिवादीगण द्वारा मात्र स्थापित मोबाईल टावर पर सेवा प्रदाता कम्पनी को पक्षकार बनाते हुए उनके वि[illegible] जबकि उक्त कम्पनी मात्र सेवा [illegible] जिसके विरुद्ध अनुतोष चा[illegible] वादी को कोई वा[illegible] है। प्रतिवादीगण द्वा[illegible] (सर्विस) मात्र दी जा[illegible] माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार राजस्थान सरकार अरबन डवलपमेंट एंड हाउसिंग विभाग का आदेश क्रमांक f.10(147) UDH/3/2008 Part-III दिनांकित 06.02.17 के क्लाज नं. 15 के अनुसार मोबाईल टावर	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

आशंकर बनाम एयरटेल व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 47/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	27/3/25	के सम्बन्ध में विवाद को सुनने का अधिकार District Telecom Committee व State Telecom Committee को होने से प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार ~~[illegible]~~ न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है तथा विद्युत कनेक्शन को विच्छेद करने की क्षेत्राधिकारिता न्यायालय हाजा की अधिकारिता का विषय नहीं है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वादकारण तथा क्षेत्राधिकारिता के अभाव में आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान वादवाही खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.20 13:43:30 IST
Reason: SelfAttested